न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं0– 182/2026
आदेश

16.06.2026 यह नियमित जमानत आवेदन आवेदिका अभियुक्त सोनी कुमारी की ओर से दाखिल किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 190, 126(2), 115(2), 109, 303(2), 352, 351 के अधीन दर्ज सूर्यपुरा थाना कांड सं0 125/2026 में दिनांक 18.04.2026 से कारा में है। उक्त वाद वर्तमान में सुश्री सबा शकील, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदिका अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वजीत कुमार को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 17.04.2026 को लगभग 10.00 बजे पूर्वाह्न में अभियुक्तगण एक राय होकर सूचक मीना देवी के दरवाजे पर पहुंचे तथा उसके साथ गाली–गलाज एवं मारपीट की। आगे आरोप है कि अभियुक्त आरती देवी ने लोहे के रॉड से प्रहार कर सूचक को घायल कर दिया। बीच–बचाव करने आई सूचक की पुत्रियों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे उन्हें चोटें आईं। अभियुक्तगण पर यह भी आरोप है कि मारपीट के दौरान सूचक एवं उसकी पुत्रियों से सोने के आभुषण तथा अन्य कीमती सामान छीन लिए गए। इस संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध जानलेवा हमला, मारपीट एवं लूटपाट का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

आवेदिका अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदिका अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आगे आवेदिका अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदिका अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह इस वाद में दिनांक 18.04.2026 से कारा में है। आवेदिका अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं है तथा उभय पक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद है। जख्मियों का जख्म

लगातार
16.06.2026

साधारण प्रकृति का पाया गया है। आवेदिका अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का कोई विनिर्दिष्ट अभियोग नहीं है। अतः उन्होंने आवेदिका अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदिका अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदिका अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। आवेदिका अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका अभियुक्त इस वाद में दिनांक 18.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदिका अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं है तथा उभय पक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद है। आवेदिका अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का कोई विनिर्दिष्ट अभियोग नहीं है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं आवेदिका अभियुक्त के द्वारा कारा में बिताई गई अवधि पर विचार करने के पश्चात यह आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदिका अभियुक्त की ओर से 7000/—रूपये की समान राशि के दो प्रतिभू सहित, विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र निष्पादित किया जाता हैं, तो उसे जमानत पर **मुक्त** कर दिया जायेगा।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।